

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 79/2020 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53, 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

- 1- श्री सांवरमल पिता लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2- श्रीमती कमलादेवी पत्नी लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

---वादीगण

बनाम

- 1- श्री शिवनारायण पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2- श्री अशोक कुमार पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 3- श्रीमती जसोदा पत्नी कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 4- श्री जेठमल पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5- श्री शम्भू पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 6- पिन्दू पुत्री मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 7- श्रीमती कमला देवी पत्नी मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 8- श्री वन्ना पिता बीजल रेबारी, उम्र वयस्क, नि0 कुवारिया पंचायत कालेसरिया तह. देवगढ़ जिला राजसमंद
- 9- राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार साहब करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 10- राजस्थान राज्य जरिऐ उप पंजीयक साहब करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

---प्रतिवादीगण

दावा बाबत निरस्त कराये जाने बंटवाड़ा एवं

पुनः कराये जाने विभाजन एवं घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश

अन्तर्गत धारा - 53, 88, 89, 92क, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित:-

- 01 श्री सूरज सनाढ्य
- 02 श्री मुकेश सिंह तँवर

अधिवक्ता वादीगण
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 12.04.2022

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92क, 188 - राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर संवत 2043 से 2046 अनुसार ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा के खाता संख्या 396 में अंकित आराजी विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। जिनका पूर्व में हुये विभाजन को निरस्त कर कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।



वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जारी किए गए। उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर राजीनाम अनुसार

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

जन किए जाने का निवेदन किया। राजीनामों के आधार वादीगण का वाद न्याय हित में हार किया गया। अतएव:

आदेश

करेड़ा पटवार हलका करेड़ा के आराजी संख्या 3654, 3655, 3657, 3658, 3659, 3660, 3662, 8801/3659, 3662, में पूर्व के विभाजन को निरस्त कर राजीनामों के आधार पर नानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाता है -

क - कालू जो कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के पूर्वज है, के नाम पर हक हिस्से में रहेंगे, जो प्रतिवादी संख्या 08 को उपरोक्त प्रतिवादियों ने विक्रय कर दी है, के हक हिस्से में रही है, जो निम्न प्रकार से दर्ज की जावे।

आराजी संख्या	रकबा
3657 में से	02 बिस्वा
3658	09 बिस्वा
8801/3659	14 बिस्वा
3662	04 बिस्वा

ख - मीठु उर्फ मीठा जो कि प्रतिवादी संख्या 04 से लगायत 07 के पूर्वज है, व विष्णु पुत्र मीठु उर्फ मीठा के नाम पर हक हिस्से में रही है, जो निम्न प्रकार से दर्ज की

वे।

आराजी संख्या	रकबा
3654	06 बिस्वा
3655	15 बिस्वा
3657 में से	05 बिस्वा
3662	03 बिस्वा

ग - लक्ष्मण जो कि वादीगण के पूर्वज है, के नाम पर रही है, जो निम्न प्रकार दर्ज की

वे।

आराजी संख्या	रकबा
3659	15 बिस्वा
3660	05 बिस्वा
3661	05 बिस्वा
3662 में से	04 बिस्वा

कालू के द्वारा विक्रय की गई आराजी 3661, 3662, जो कि त्रुटि पूर्वक अंकन होने के कारण भूलवश प्रतिवादी संख्या 08 को विक्रय कर दी गई है, उन आराजी न0 तक विक्रय पत्र को उपरोक्तानुसार शून्य व बेअसर किया जाता है।

इसी प्रकार आराजी संख्या 3657 कुलिया में से 01 बिस्वा जमीन जो संयुक्त रूप से खेत र स्थापित रामदेव जी के स्थान के नाम पर जिस जगह रामदेव जी स्थान है, उस जगह पर क्लेश व खाते में तरमीम किया जावे,

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

साथ ही समस्त आराजीयात पर आने जाने हेतु संयुक्त रूप से रास्ता छोड़ा जावे और रास्ते को संयुक्त रूप से खाते में दर्ज कर रास्ते की भूमि को नक्शे में तरमीम किया जावे।

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व गण व प्रतिवादीगण जरिये राजीनामा स्थायी व्यादेश की डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से की जायदाद में ही काबिज होकर काश्त करेंगे और एक की जायदाद के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करेंगे व रास्ते की भूमि में किसी र की दखल नहीं करेंगे।

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता म कर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में नाम विलोपित कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल र की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

य आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर करंडी
करंडी जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

सीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दमा नम्बर 79/2020 राजस्व वाद

पत्र अन्तर्गत धारा- 53, 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

श्री सांवरमल पिता लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती कमलादेवी पत्नी लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

---वादीगण

बनाम

श्री शिवनारायण पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री अशोक कुमार पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती जसोदा पत्नी कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री जेठमल पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री शम्भू पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
पिन्दू पुत्री मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती कमला देवी पत्नी मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री वन्ना पिता बीजल रेबारी, उम्र वयस्क, नि0 कुवारिया पंचायत कालेसरिया तह. देवगढ़ जिला राजसमंद
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- राजस्थान राज्य जरिए उप पंजीयक साहब करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

---प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री सूरज सनाढ्य, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री मुकेश सिंह तँवर की स्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 12.04.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर पेश किया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि शून्य और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जावे।

म करेड़ा पटवार हलका करेड़ा के आराजी संख्या 3654, 3655, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 8801/3659, 3662, में पूर्व के विभाजन को निरस्त कर राजीनामों के आधार पर नानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाता है -

क - कालू जो कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के पूर्वज है, के नाम पर हक हिस्से में रहेंगे, जो प्रतिवादी संख्या 08 को उपरोक्त प्रतिवादियों ने विक्रय कर दी है, के हक हिस्से में रही है, जो निम्न प्रकार से दर्ज की जावे।

आराजी संख्या	रकबा
3657 में से	02 बिस्वा
3658	09 बिस्वा
8801/3659	14 बिस्वा
3662	04 बिस्वा

ख - मीठु उर्फ मीठा जो कि प्रतिवादी संख्या 04 से लगायत 07 के पूर्वज है, व विष्णु पुत्र मीठु उर्फ मीठा के नाम पर हक हिस्से में रही है, जो निम्न प्रकार से दर्ज की

जावे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आराजी संख्या	रकबा
3654	06 बिस्वा
3655	15 बिस्वा
3657 में से	05 बिस्वा
3662	03 बिस्वा

ग - लक्ष्मण जो कि वादीगण के पूर्वज है, के नाम पर रही है, जो निम्न प्रकार दर्ज की

आराजी संख्या	रकबा
3659	15 बिस्वा
3660	05 बिस्वा
3661	05 बिस्वा
3662 में से	04 बिस्वा

कालु के द्वारा विक्रय की गई आराजी 3661, 3662, जो कि त्रुटि पूर्वक अंकन होने के कारण भूलवश प्रतिवादी संख्या 08 को विक्रय कर दी गई है, उन आराजी न0 तक विक्रय पत्र को रोकतानुसार शून्य व बेअसर किया जाता है।

इसी प्रकार आराजी संख्या 3657 कुलिया में से 01 बिस्वा जमीन जो संयुक्त रूप से खेत स्थापित रामदेव जी के स्थान के नाम पर जिस जगह रामदेव जी स्थान है, उस जगह पर शे व खाते में तरमीम किया जावे,

साथ ही समस्त आराजीयात पर आने जाने हेतु संयुक्त रूप से रास्ता छोड़ा जावे और त्त रास्ते को संयुक्त रूप से खाते में दर्ज कर रास्ते की भूमि को नक्शे में तरमीम किया जावे।

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व दीगण व प्रतिवादीगण जरिये राजीनामा स्थायी व्यादेश की डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से की जायदाद में ही काबिज होकर काश्त करेंगे और एक परे की जायदाद के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करेंगे व रास्ते की भूमि में किसी कार की दखल नहीं करेंगे।

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता यम कर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में नाम विलोपित कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड आर.ए.एस. अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 12.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड आर.ए.एस. अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

सीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दमा नम्बर 79/2020 राजस्व वाद

पत्र अन्तर्गत धारा- 53, 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

श्री सांवरमल पिता लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती कमलादेवी पत्नी लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

श्री शिवनारायण पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री अशोक कुमार पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती जसोदा पत्नी कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री जेटमल पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री शम्भू पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
पिन्दू पुत्री मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती कमला देवी पत्नी मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री वन्ना पिता बीजल रेवारी, उम्र वयस्क, नि० कुवारिया पंचायत कालेसरिया तह. देवगढ़ जिला राजसमंद
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब करेड़ा तह० करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- राजस्थान राज्य जरिए उप पंजीयक साहब करेड़ा तह० करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत निरस्त कराये जाने बंटवाड़ा एवं

पुनः कराये जाने विभाजन एवं घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश

अन्तर्गत धारा - 53, 88, 89, 92क, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

स्थित:-

1 श्री सूरज सनाढ्य
श्री मुकेश सिंह तँवर

अधिवक्ता वादीगण
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 12.04.2022

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92क, 188 - राज० टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर संवत 2043 से 2046 अनुसार ग्राम करेड़ा पटवार का करेड़ा के खाता संख्या 396 में अंकित आराजी विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी हक दर्ज रेकार्ड है। जिनका पूर्व में हुये विभाजन को निरस्त कर कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी जारी किए गए। उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर राजीनाम अनुसार

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आराजी संख्या	रकबा
3654	06 बिस्वा
3655	15 बिस्वा
3657 में से	05 बिस्वा
3662	03 बिस्वा

ग - लक्ष्मण जो कि वादीगण के पूर्वज है,के नाम पर रही है, जो निम्न प्रकार दर्ज की

आराजी संख्या	रकबा
3659	15 बिस्वा
3660	05 बिस्वा
3661	05 बिस्वा
3662 में से	04 बिस्वा

कालु के द्वारा विक्रय की गई आराजी 3661, 3662, जो कि त्रुटि पूर्वक अंकन होने के रण भूलवश प्रतिवादी संख्या 08 को विक्रय कर दी गई है, उन आराजी न0 तक विक्रय पत्र को रोक्तानुसार शून्य व बेअसर किया जाता है।

इसी प्रकार आराजी संख्या 3657 कुलिया में से 01 बिस्वा जमीन जो संयुक्त रूप से खेत स्थापित रामदेव जी के स्थान के नाम पर जिस जगह रामदेव जी स्थान है, उस जगह पर नशे व खाते में तरमीम किया जावे,

साथ ही समस्त आराजीयात पर आने जाने हेतु संयुक्त रूप से रास्ता छोड़ा जावे और रास्ते को संयुक्त रूप से खाते में दर्ज कर रास्ते की भूमि को नवशे में तरमीम किया जावे।

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादीगण व प्रतिवादीगण जरिये राजीनामा स्थायी व्यादेश की डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से की जायदाद में ही काबिज होकर काश्त करेंगे और एक सरे की जायदाद के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करेंगे व रास्ते की भूमि में किसी कार की दखल नहीं करेंगे।

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता गयम कर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में नाम विलोपित कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड आर.ए.एस. पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 12.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड आर.ए.एस. पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

सीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

फा नम्बर 79/2020 राजस्व वाद

पत्र अन्तर्गत धारा- 53, 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

श्री सांवरमल पिता लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती कमलादेवी पत्नी लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

श्री शिवनारायण पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री अशोक कुमार पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती जसोदा पत्नी कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री जेठमल पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री शम्भू पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
पिन्दू पुत्री मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती कमला देवी पत्नी मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री वन्ना पिता बीजल रेबारी, उम्र वयस्क, नि० कुवारिया पंचायत कालेसरिया तह. देवगढ़ जिला राजसमंद
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब करेड़ा तह० करेड़ा जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिए उप पंजीयक साहब करेड़ा तह० करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत निरस्त कराये जाने बंटवाड़ा एवं

पुनः कराये जाने विभाजन एवं घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश

अन्तर्गत धारा - 53, 88, 89, 92क, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

स्थित:-

श्री सूरज सनाढ्य
श्री मुकेश सिंह तँवर

अधिवक्ता वादीगण
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 12.04.2022

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92क, 188 - राज० टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर संवत् 2043 से 2046 अनुसार ग्राम करेड़ा पटवार का करेड़ा के खाता संख्या 396 में अंकित आराजी विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी हक दर्ज रेकार्ड है। जिनका पूर्व में हुये विभाजन को निरस्त कर कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी जारी किए गए। उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर राजीनाम अनुसार

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

जन किए जाने का निवेदन किया। राजीनामों के आधार वादीगण का वाद न्याय हित में ग़र किया गया। अतएव:

आदेश

करेड़ा पटवार हलका करेड़ा के आराजी संख्या 3654, 3655, 3657, 3658, 3659, 3660, 1, 3662, 8801/3659, 3662, में पूर्व के विभाजन को निरस्त कर राजीनामों के आधार पर ग़ानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाता है -

क - स्व कालु डाकोत के वारिसान(1) श्री शिवनारायण पिता कालु डाकोत, 2- श्री अशोक पिता कालु डाकोत, 3- श्रीमती जसोदा पत्नी कालु डाकोत, के नाम के नाम पर निम्न आराजियात समान हक हिस्से में रहेंगे, जिसे राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 नाम पर दर्ज की जावे

आराजी संख्या	रकबा
3657 में से	02 बिस्वा
3662	04 बिस्वा

ख - स्व मिटु उर्फ मिठालाल के वारिसान:- 1श्री जेठमल पिता मीठालाल डाकोत, 2- श्री भू पिता मीठालाल डाकोत, 3- पिन्टू पुत्री मीठालाल डाकोत, 4- श्रीमती कमला देवी पत्नी मीठालाल डाकोत, प्रतिवादी संख्या 04 से लगायत 07 व विष्णु पुत्र मिटु उर्फ मिठालाल नाम के नाम पर निम्न आराजियात समान हक हिस्से में रहेंगे, जिसे राजस्व रिकोर्ड में नाम पर दर्ज की जावे

आराजी संख्या	रकबा
3654	06 बिस्वा
3655	15 बिस्वा
3657 में से	05 बिस्वा
3662	03 बिस्वा

ग - स्व. लक्ष्मण डाकोत के वारिसान:- श्री सांवरमल पिता लक्ष्मण जी डाकोत, व श्रीमती मलादेवी पत्नी स्व.लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क नि० करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा वादीगण के नाम पर निम्न आराजियात समान हक हिस्से में रहेंगे, राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जावे।

आराजी संख्या	रकबा
3659	15 बिस्वा
3660	05 बिस्वा
3661	05 बिस्वा
3662 में से	04 बिस्वा

घ - आराजी सं. 3657 रकबा 0.0800 हैक्टर में से 01 बिस्वा भूमि को सभी सहखतेदार की सहमति से सयुक्त रूप से खातेदारी में किस्म रामदेवजी स्थानदेह अकिंत की जावे ।

01. कालु के द्वारा विक्रयपत्र संख्या 202001035001418में अन्य आराजियात के साथ जिल्द्री में भुलवश त्रुटि पूर्वक अंकन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 08 को विक्रय कर दी गई है, आराजी नम्बर 3661 व 3662 तक के श्री बन्ना पिता बिजल रेबारी के नाम जिसकी नेयमानुसार स्टाम्प ड्युटी देय होगी जिस पर प्रतिवादी संख्या 08 ने उपस्थित होकर उक्त दो

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

जियात को खरीदना नहीं बताया अतः सहमति के आधार पर आराजी न0 3661, व 3662, के विक्रय को उपरोक्तानुसार शून्य व बेअसर घोषित किया जाता है।

02. इसी प्रकार आराजी संख्या 3657 कुलिया में से 01 बिस्वा जमीन जो संयुक्त रूप से पर स्थापित रामदेव जी के स्थान के नाम पर जिस जगह रामदेव जी स्थान है, उस जगह नक्शे व खाते में तरमीम किया जावे,

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शदीगण व प्रतिवदीगण जरिये राजीनामा स्थायी व्यादेश की डिक्री जारी की जाती है कि गण व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से की जायदाद में ही काबिज होकर काश्त करेंगे एक दूसरे की जायदाद के उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करेंगे

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुरस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता म कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल र की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

य आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी पदेन
(महेश कल सिंह)
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

सीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

रमा नम्बर 79/2020 राजस्व वाद

पत्र अन्तर्गत धारा- 53, 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

श्री सांवरमल पिता लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती कमलादेवी पत्नी लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

श्री शिवनारायण पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री अशोक कुमार पिता कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती जसोदा पत्नी कालू डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री जेटमल पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री शम्भू पिता मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
पिन्दू पुत्री मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्रीमती कमला देवी पत्नी मीठालाल डाकोत, उम्र वयस्क, नि0 करेड़ा, तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
श्री वन्ना पिता बीजल रेबारी, उम्र वयस्क, नि0 कुवारिया पंचायत कालेसरिया तह. देवगढ़ जिला राजसमंद
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा
- राजस्थान राज्य जरिए उप पंजीयक साहब करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री सूरज सनाढ्य, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री मुकेश सिंह तँवर की स्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 12.04.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर देश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि शून्य और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि ज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी यें।

म करेड़ा पटवार हलका करेड़ा के आराजी संख्या 3654, 3655, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 01/3659, 3662, में पूर्व के विभाजन को निरस्त कर राजीनामों के आधार पर निम्नानुसार वादीगण एवं तेवादीगण के मध्य विभाजन किया जाता है -

क -स्व कालु डाकोत के वारिसान(1) श्री शिवनारायण पिता कालू डाकोत, 2- श्री अशोक कुमार पिता कालू डाकोत, 3- श्रीमती जसोदा पत्नी कालू डाकोत, के नाम के नाम पर निम्न आराजियात समान हक हिस्से रहेंगे, जिसे राजस्व रिकोर्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम पर दर्ज की जावे

आराजी संख्या	रकबा
3657 में से	02 बिस्वा
3662	04 बिस्वा

ख - स्व मिदु उर्फ मिठालाल के वारिसान:- 1श्री जेटमल पिता मीठालाल डाकोत, 2- श्री शम्भू पिता मीठालाल डाकोत, 3- पिन्दू पुत्री मीठालाल डाकोत, 4- श्रीमती कमला देवी पत्नी मीठालाल डाकोत, प्रतिवादी संख्या 04 से लगायत 07 व विष्णु पुत्र मिदु उर्फ मिठालाल नाम के नाम पर निम्न आराजियात समान हक हिस्से रहेंगे, जिसे राजस्व रिकोर्ड मे नाम पर दर्ज की जावे

आराजी संख्या	रकबा
3654	06 बिस्वा
3655	15 बिस्वा
3657 में से	05 बिस्वा
3662	03 बिस्वा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

ग - स्व. लक्ष्मण डाकोत के वारिसान:- श्री सांवरमल पिता लक्ष्मण जी डाकोत, व श्रीमती कमलादेवी
स्व. लक्ष्मण जी डाकोत, उम्र वयस्क नि० करेडा, तह. करेडा जिला भीलवाडा
वादीगण के नाम पर निम्न आराजियात समान हक हिस्से में रहेंगे, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

आराजी संख्या	रकबा
3659	15 बिस्वा
3660	05 बिस्वा
3661	05 बिस्वा
3662 में से	04 बिस्वा

घ - आराजी सं. 3657 रकबा 0.0800 हैक्टर में से 01 बिस्वा भूमि को सभी सहखतेदार की सहमति से
संयुक्त रूप से खातेदारी में किस्म रामदेवजी स्थानदेह अंकित की जावे।

01. कालु के द्वारा विक्रयपत्र संख्या 202001035001418 में अन्य आराजियात के साथ रजिस्ट्री में भुलवश
से पूर्वक अंकन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 08 को विक्रय कर दी गई है, आराजी नम्बर 3661 व 3662
के श्री बन्ना पिता बिजल रेबारी के नाम जिसकी नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी देय होगी जिस पर प्रतिवादी
व्या 08 ने उपस्थित होकर उक्त दो आराजियात को खरीदना नहीं बताया अतः सहमति के आधार पर
राजी न० 3661, व 3662, तक के विक्रय को उपरोक्तानुसार शून्य व बेअसर घोषित किया जाता है।

02. इसी प्रकार आराजी संख्या 3657 कुलिया में से 01 बिस्वा जमीन जो संयुक्त रूप से खेत पर
लिपित रामदेव जी के स्थान के नाम पर जिस जगह रामदेव जी स्थान है, उस जगह पर नक्शे व खाते में
सही किया जावे,

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादीगण
प्रतिवादीगण जरिये राजीनामा स्थायी व्यादेश की डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण अपने
अपने हक हिस्से की जायदाद में ही काबिज होकर काश्त करेंगे और एक दूसरे की जायदाद के उपयोग
में कोई बाधा कारित नहीं करेंगे

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता कायम कर
में प्रतिस्थापित किया जावे।

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व राजस्व रेकॉर्ड में अलग खाता कायम
में उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में नाम विलोपित कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
(सहीपाल सिंह)
सहायक कलक्टर करेडा
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा

आज दिनांक 12.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
(सहीपाल सिंह)
सहायक कलक्टर करेडा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा